

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी—श्री भवानी सिंह पंवार

अपील संख्या 21/2020

तारीख रजू 07.01.2020

मनफूल पुत्र काना जाति गुर्जर निवासी सेवतीखुर्द तहसील खण्डार। ——— अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार, खण्डार

————— रेस्पो0

निर्णय

दिनांक 2.12.20

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार, खण्डार द्वारा मिसल संख्या 172/19 में पारित आदेश दिनांक 07.10.2019 के विरुद्ध प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम सेवतीखुर्द के आराजी खसरा नम्बर 365/294 रकबा 4.00 हैक्टर किस्म बा0का0च0 भूमि पर संवत् 2076 में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर जोत लगाने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए 90 दिवस सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में कथन किया कि अदालत मातहत ने पत्रावली का सही प्रकार से विवेचन नहीं किया है तथा गलत प्रकार से निर्णय पारित किया है इसलिये माननीय अदालत मातहत का निर्णय निरस्त होने योग्य है। यह भी तर्क दिया है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलान्त को कोई सम्मन/नोटिस नहीं मिला है नहीं अपीलान्त को कोई तामील हुयी है अगर तामील प्राप्त होती तो अपीलान्त अपनी साक्ष्य सफाई पेश करता। यह भी तर्क दिया है कि आराजी खसरा नम्बर 365/294 रकबा 4.00 बीघा ग्राम सेवतीखुर्द पर वर्तमान में अपीलान्त का कोई कब्जा काश्त नहीं है तथा नहीं अपीलान्त किसी प्रकार का पश्चातवर्ती अतिचारी रहा है, मात्र पटवारी हल्का ने कार्यालय में बैठकर ही सारी कार्यवाही की है। यह भी तर्क दिया है कि अदालत मातहत द्वारा उक्त विवादित आराजीयात के आस-पास के खेत वालों के एवं गवाहान के बयान नहीं लिये है तथा पटवारी हल्का द्वारा गतल रिपोर्ट को आधार मानकर ही अपीलान्त को 3 माह के सिविल कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया जो निरस्तनीय है।


अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए परोकार सरकार ने बहस में कथन किया कि अपीलार्थी को विधिवत नोटिस जारी करने के पश्चात ही अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर दिये जाने व पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित हो जाने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है जिसपर अपीलाण्ट की पुत्र वधु की तामील हुई तथा तामील होने के पश्चात अतिचारी मनफूल स्वयं दिनांक 01.10.19 को अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित हुआ। अतः वकील अपीलार्थी का यह कथन कि अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर नहीं दिया गया है मान्य नहीं है। जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है अदालत मातहत की पत्रावली में पूर्व में किये गये अतिक्रमण के संबंध में पारित निर्णय जिसमें भौतिक रूप से अपीलार्थी को बेदखल किया गया हो इस संबंध में कोई दस्तावेज व पूर्व के किये गये अतिक्रमण के संबंध में पटवारी रिपोर्ट, नोटिस व अन्य दस्तावेज संलग्न नहीं है। यहां में उल्लेख करना चाहुंगा कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि अतिचारी ने पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया हो और पूर्व में किये गये अतिक्रमण से भौतिक रूप से बेदखल कर दिया गया है तो अतिक्रमी सिविल कारावास के दण्ड का भागीदार होगा। पत्रावली में कही भी ऐसा दस्तावेज संलग्न नहीं है, जिससे अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से पूर्व में भौतिक रूप से बेदखल किया गया हो।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमें बेदखली, शास्ति का आदेश यथावत रखा जाता है तथा सिविल कारावास के बिन्दु पर प्रकरण नायब तहसीलदार, खण्डार को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि यदि अपीलान्ट अतिचारी अदालत मातहत के समक्ष इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करदे कि वर्तमान में विवादित भूमि पर उसका कब्जा काश्त नहीं है तथा उक्त शपथ-पत्र का अदालत मातहत पटवारी हल्का से भौतिक सत्यापन कराने पर यदि अतिचारी का अतिक्रमण नहीं पाया जाता है तो अपीलान्ट को दी गयी सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त समझा जावे। यदि वर्तमान में अतिक्रमण पाया जावे तो सिविल कारावास की सजा के आदेश को बहाल रखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 2.12.20 को लिखया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह पंवार)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर